न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

उपस्थितिः– धीरज कुमार भास्कर,अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 380/2026

छोटु कुमार, पे0–नारायण यादव
साकिन–भदौस, थाना–सिरारी, जिला–शेखपुरा....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार

15.04.2026

बिहारशरीफ थाना कांड संख्या–671/2025 अंतर्गत धारा– 103(1), 238, 61(2) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आवेदक अभियुक्त छोटु कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को दी गयी। आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर आज सुनवाई की गयी।

उक्त जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता ने जमानत आवेदन के समर्थन में कथन किये है कि सूचिका संगीता देवी के फर्दब्यान के आधार पर बिहारशरीफ थाना कांड संख्या–671/25 दर्ज किया गया है, जिसमें आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक की ओर से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह बिल्कुल निर्दोष है। उसके पास से कोई भी आपत्तीजनक सामाग्री बरामद नहीं हुआ है तथा वाद के सह–अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उसे अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक को पुलिस द्व ारा गिरफ्तार करने की आशंका है। उसे फरार होने की संभावना नहीं है। वे न्यायालय के आदेश को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाए।

विद्वान् विशेष लोक अभियोजक ने आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध किये हैं।

सूचिका संगीता देवी के द्वारा दिये गये फर्दब्यान के आधार पर अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचिका का दामाद राकेश कुमार दिनांक–12.12.2025 को समय 06.00 बजे सुबह में फोन करके मंटु कुमार उर्फ गोलु के बारे में पूछे तो सूचिका बोली की 09.00 बजे रात्रि में बात हुई है। वह सुबह 7.00 बजे अपने पुत्र मंटु कुमार को फोन की तो बिहार थाना के पुलिस फोन उठाया और बताया कि आपके पुत्र का शव बरामद हुआ है, जिसे बिहारशरीफ, सदर अस्पताल में लाया गया है। जिसके बाद वह सदर अस्पताल होते हुए बिहार थाना आ गई। सूचिका के द्वारा फर्दब्यान में कहा गया की मंटु कुमार का अपने दोस्तों से पूर्व से पैसों का विवाद चल रहा था। उसे पूर्ण विश्वास है कि पैसों के लेनदेन के कारण उनके दोस्तों द्वारा मारपीट कर हत्या कर दी गई है।

जमानत के बिन्दु पर उभय पक्षों का तर्क सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक छोटु कुमार के विरूद्ध

क्रमशः

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

उपस्थितिः– धीरज कुमार भास्कर,अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 380/2026

छोटु कुमार बनाम बिहार सरकार

लगातार

15.04.2026

अभियोग है कि वह अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर रुपया के विवाद को लेकर सूचिका संगीता देवी के पुत्र मंटु कुमार का हत्या कर दिया। आवेदक प्राथमिकी अभियुक्त नहीं है। केस दैनिकी के कंडिका–06 में सूचिका तथा कंडिका–07 में साक्षी ने कहा है कि रुपया के विवाद को लेकर मंटु कुमार के दोस्तो ने उसका हत्या कर दिया। केस दैनिकी के कंडिका–14 एवं 39 में साक्षी राजा कुमार एवं नैतिक राज ने बयान दिया है कि मृतक मंटु कुमार उर्फ गोलु की हत्या उसके दोस्त हार्दिक पटेल, संदीप कुमार, जिला–शेखपुरा, संदीप कुमार(गढ़पर के रहने वाले) ने कर दिया है। केस दैनिकी के कंडिका–100 एवं 115 के अवलोकन से प्रतित होता है कि वाद के सह अभियुक्त संदीप कुमार, पे0–मदन कुमार ने अपने स्वीकारोक्ति व्यान में स्वयं के साथ–साथ आवेदक छोटु कुमार का उक्त घटना में सलिप्तता के संबंध में व्यान दिया है। अनुसंधानकर्ता ने वाद के सह अभियुक्त संदीप कुमार, पे0–मदन कुमार के विरूद्ध धारा– 103(1), 238, 61(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोप पत्र समर्पित करते हुए आवेदक के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा है। आवेदक के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप लगाया गया है। इस स्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचना करने के उपरांत न्यायालय आवेदक छोटु कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **खारिज** करती है।

(लेखापित एवं संशोधित)
ह0/–
(धीरज कुमार भास्कर)
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम्
सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम
नालन्दा, बिहारशरीफ।